



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938

No. 1682]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

का.आ. 2313(ब).- सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से थोक मूल्य सूचकांक (थो.मू.सू.) की प्रस्तावित नई श्रृंखला के लिए विनिर्माण वस्तुओं के थोक मूल्य के आंकड़ों के संग्रहण का निदेश देता है, तत्पश्चात् अनुसूची में दर्शाये गए विवरणानुसार "वित्तीयवर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तावित मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011-12 = 100) परसर्वेक्षण" हेतु निर्दिष्ट करता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के का.आ.सं. 2610(ई), दिनांक 22 सितम्बर, 2015 जिसे आंशिक रूप से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के का.आ.सं.2021(ई) के अनुसार संशोधित किया गया है एवं भविष्य में भी समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है के अन्तर्गत नियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों को उनकी उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों के बाबत सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए नियुक्त सांख्यिकी अधिकारी को छोड़कर।

अतः इसलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (फील्ड ऑपरेशन डिविज़न), ईस्ट ब्लॉक-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 को वित्त वर्ष 2016-17 के मासिक थोक मूल्य आंकड़े पर सर्वेक्षणाधीन सांख्यिकी संग्रहण में सहायता करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में नियुक्त करता है।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को उस भौगोलिक इकाई के भीतर जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है अनुबंध के आधार अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों या कर्मचारियों को या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों की संस्था को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अन्तर्गत नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को प्रारूप, अपेक्षित विशिष्टियां या वह अंतराल जिसके भीतर सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकीय जानकारी दी जाएगी विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या प्राधिकार-पत्र अपने पास रखेंगे और अपनी अधिकार-क्षेत्रमें प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन करने, सुसंगत अभिलेख का निरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांगने का कार्य करेंगे।

यथोचित सत्यापन और संवीक्षा के पश्चात्, सूचना प्रदाताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दिए गए मासिक मूल्य आंकड़ों पर सर्वेक्षण के संबंध में संगृहीत आंकड़ों का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यवाई की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के मासिक मूल्य आंकड़ोंके संबंध में किसी भी गतिविधि में लगे हुए व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची

1. सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन:-

अप्रैल, 2016 के बाद से मार्च, 2017 तक के लिए संगठित विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों द्वारा निर्मितचयनित वस्तुओं के थोक मूल्य से संबंधित आंकड़ें लेनदेन के पहले चरण में थोक विक्री के लिए मासिक कीमत के माध्यम से मासिक आधार पर नियमित रूप से संगृहित किए जा रहे हैं।

2. सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:-

वर्ष 2016-17 के लिए मूल्य आंकड़ों का सर्वेक्षण जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन संचालित किया जाएगा।

3. आंकड़े संग्रहण पद्धति:-

प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसकी अधिकारिता के अधीन सूचना प्रदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें वह तिथि दर्शाई जाएगी जब तक अधिकारी या कार्यालय जिसको, इकाई या इकाइयां जिनके लिए और प्रारूप जिनमें जानकारी दी जानी अपेक्षित है। सांख्यिकी अधिकारी सूचना प्रदाता को विहित सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने के लिए, ऐसी अन्य शर्तों के अद्यधीन जो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अनुज्ञात कर सकेगा।

4. सूचना प्रदाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े संगृहित किए जा सकेंगे:-

मूल्य और उत्पादन आंकड़ों के संग्रहण के लिए चयनित किसी इकाई (अर्थात् कोई कारखाना या संस्थान या उद्यम) का स्वामी या अधिभोगी, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा वह इकाई के बारे में जानकारी देगा।

5. **अवधि, जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण पूर्ण किया जा सकता है:-**
प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तिथि नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और वह साधारणतया नोटिस जारी करने की तिथि से एक माह के भीतर होगी।
6. **संदर्भ अवधि:-**1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की जानकारी मासिक आधार पर दी जानी अपेक्षित है।
7. **संगृहीत की जाने वाली जानकारी की प्रकृति:-**
मासिक थोक मूल्य के संबंध में जानकारी अपेक्षित है। मद ब्यौरे इकाइयों के पूर्ण संपर्क ब्यौरे (कार्यालय ई-मेल, मोबाइल, लैंडलाइन नंबर एवं पूर्ण डाक पता) सहित अभिलिखित किए जाने हैं।
मदों का विवरण थोक मूल्य (मदों के लेन देन के पहले चरण में थोक बिक्री मूल्य), उत्पाद विशिष्टताएं, लेखा इकाई, उत्पाद शुल्क एवं व्यापारिक बट्टा की सूचना सहित संग्रहित किया जाएगा।
8. **भाषा, जिसमें सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी दी जानी है:-** सूचना प्रदाता निर्धारित प्रारूप में हिन्दी या अंग्रेजी में जानकारी देगा। तथापि, आंकड़ों की सूचना अंग्रेजी में दी जानी चाहिए।
9. **सूचना प्रदाता की बाध्यता:-**
किसी इकाई का स्वामी या अधिभोगी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लिखित रीति और तारीख तक सूचना प्रस्तुत करेगा। उसे निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेख भी उपलब्ध कराने चाहिए और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।
10. **व्यवसायिक अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों जिनका निरीक्षण किया जा सकता है की प्रकृति:-** किसी इकाई के व्यवसायिक अभिलेख जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, वेतन रोल, निदेशक की रिपोर्ट या इकाई द्वारा जानकारी के समर्थन में दिया गया कोई अन्य विधिक दस्तावेज का सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
11. **निरीक्षण की रीति:-** संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इकाई द्वारा दी गई जानकारी इकाई के व्यवसायिक अभिलेख या अन्य अभिलेखों के आधार पर सत्यापित कर सकेगा और संबंधित स्वामी या अधिभोगी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

[फा. सं. ईसी.एडी/बी-11/डब्ल्यूपीडी/2013]

डॉ. मोहन चुटानी, आर्थिक सलाहकार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

S. O. 2313(E).— In the exercise of the powers conferred by section 3 and section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rule 5 and rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Commerce and Industry hereby directs collection of statistics on wholesale prices of manufacturing items for the

proposed new series of Wholesale Price Index(WPI) through a statistical survey, hereinafter referred to as "Survey on proposed monthly WPI (Base 2011-12=100) for the Financial Year 2016-17" as per the details mentioned in the Schedule.

The Ministry of Commerce and Industry hereby appoints statistics officers appointed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Statistics and Programme Implementation number S.O 2610 (E), dated the 22nd September, 2015 as partially amended by Ministry of Statistics and Programme Implementation number S.O.2021(E) and as may be further amended from time to time as statistics officers in respect of the geographical units mentioned thereof except the statistics officer appointed for the state of Jammu and Kashmir.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Collection of Statistics Act 2008, the Ministry of Commerce and Industry appoints National Sample Survey Office (Field Operations Division), East Block-6, R.K Puram, New Delhi-110066 as the agency to aid in and supervise the collection of statistics under the survey on monthly wholesale price data for the Financial Years 2016-17.

In exercise of powers conferred by sub-section(4) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008, the Ministry of Commerce and Industry delegates to all statistical officers, the power of appointing agencies or persons working in such agencies or employing on contract basis any agency or company or organisation or association of persons, conferred on it by sub-section (2) and sub-section (3) of section 4 of the said Act within the geographical units for which the statistics officer is appointed.

Also, the Ministry of Commerce and Industry under sub-section (6) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 delegates to all statistics officers, the power to specify the form, particulars required or the interval within which the statistic officers to whom the statistical information shall be furnished.

The persons authorised by the concerned statistics officer shall carry a photo identity card or a letter of authorisation issued by the concerned statistics officer and would be engaged in their jurisdiction for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary.

The statistics collected in respect of the survey on monthly price data for the Financial Year 2016-17 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, shall be processed by officials working in the Department of Industrial Policy and Promotion.

The persons engaged in any activity in respect of the monthly price data for the Financial Year 2016-17 shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE

- 1. Subject and purpose of collection of statistics:** - Statistics relating to wholesale prices of selected commodities manufactured by organised manufacturing sector units is regularly collected through monthly price for bulk sale at first stage of transaction on a monthly basis from April, 2016 onwards till March, 2017.
- 2. Geographical area for Collection of statistics:** - The monthly price data for the year 2016-17 survey is conducted under the Collection of Statistics Act, 2008 for the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- 3. Method of data collection:** - A notice shall be issued by each statistics officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom the unit or the units for which, and the formats in which, information is required to be furnished. A statistics officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.
- 4. Nature of informants from whom data may be collected:** - The owner or occupier of a unit (i.e., a factory or establishment or enterprise) selected for collection of data who would be issued notice by a statistics officer shall furnish information about the unit.
- 5. Period during which collection of statistics may be completed:** - The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall within one month from date of issue of notice.
- 6. Reference Period:** - Information is required to be furnished from 1st April, 2016 till 31st March 2017 on a monthly basis.

7. **Nature of information to be collected:** - Information is required on monthly wholesale prices. The item details have to be recorded along with complete contact details of the units (official e-mail, mobile number, landline number and complete postal details).
The item details to be collected include information on wholesale prices [price for bulk sale at first stage of transaction of the items], and product specifications, accounting unit, excise duty and trade discount.
8. **Language in which information is to be furnished by informant:** - An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English. However data shall be reported in English.
9. **Obligation of Informant:** - An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned statistics officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics officer or a person authorised by him.
10. **Nature of business records and other records which may be inspected:** Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the statistics officer or a person authorised by him.
11. **The manner of inspection:**-The concerned statistics officer or a person authorised by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarification from the concerned owner or occupier or a person authorised by the management of the unit.

[F. No. c.Ad/B-11/WPD/2013]

DR. MOHAN CHUTANI, Economic Adviser